(GI-1, GI-2+4, GI-3, GI-5+6 & VDI-1, VI-1, SI-1)

DATE: 13.09.2020 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER : LAW

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.
Question No. 1 & 2 is compulsory.
Candidates are also required to answer any four questions from the remaining Five Questions.

Answer 1:

1.	(A)	d	**2 Mark for Each Valid Answer = Total 4 Marks** (A)–(B)
	(B)	b	
	(C)	a	**1 Mark for Each Valid Answer = Total 26 Marks** (C)–26
2.	Ans.	c	
3.	Ans.	d	
4.	Ans.	d	
5.	Ans.	b	
6.	Ans.	a	
7.	Ans.	a	
8.	Ans.	d	
9.	Ans.	b	
10.	Ans.	c	
11.	Ans.	c	
12.	Ans.	b	
13.	Ans.	a	
14.	Ans.	d	
15.	Ans.	c	
16.	Ans.	d	
17.	Ans.	b	
18.	Ans.	d	
19.	Ans.	c	
20.	Ans.	c	
21.	Ans.	c	
22.	Ans.	d	
23.	Ans.	a	
24.	Ans.	a	
25.	Ans.	d	
26.	Ans.	b	

Answer 2:

(a) **सहयोगी कम्पनी**, किसी अन्य कम्पनी के सम्बन्ध में सहयोगी कम्पनी का आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें अन्य कम्पनी का अर्थपूर्ण प्रभाव हो, जो प्रभावशाली कम्पनी की सहायक कम्पनी हो, इसमें संयुक्त साहस कम्पनी शामिल है। **{$2^{1/2}$ M}**

व्याख्या (Explanation) : **इस चरण के उद्देश्य हेतु–**

(a) वाक्यांश ''महत्वपूर्ण प्रभाव'' का तात्पर्य सर्वज्ञ मतदान शक्ति पर कम से कम 20 प्रतिशत नियंत्रण से है या पूर्ण नियंत्रण या व्यावसायिक निर्णयों में एक समझौते के तहत् भाग लेना।

(b) ''संयुक्त साहस'' शब्द से तात्पर्य संयुक्त प्रबंधन से है जहॉ पक्षों का, जो प्रबंधन में संयुक्त नियंत्रण रखते हैं, प्रबंधन की सम्पत्ति पर हक/अधिकार होता है। **{$2^{1/2}$ M}**

Answer:

(b) **कर्मचारी स्टॉक विकल्प** का अर्थ है कि कंपनी के निदेशक, अधिकारियों या कर्मचारियों को या उसके होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी या कंपनियों को दिया गया विकल्प, यदि कोई है, जो ऐसे निदेशकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को, लाभ या खरीद के अधिकार, या पूर्व–निर्धारित मूल्य पर भविष्य की तारीख में कंपनी के अंशों की सदस्यता लें। **{$2^{1/2}$ M}**

स्वेट समता अंशों से आशय ऐसे समता अंशों से है जो कम्पनी के द्वारा इसके निर्देशकों अथवा कर्मचारियों को छूट पर या रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए उनके द्वारा तकनीकी जानकारियाँ देने के लिए अथवा बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में उपलब्ध अधिकार बनाने या मूल्य संवर्धन के लिए, चाहे जो नाम दिया जाये, निर्गमित किये जाते हैं। **{$2^{1/2}$ M}**

Answer:

(c) पूछी गई समस्या भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 130, जो सतत् प्रतिभू के खण्डन से सम्बन्धित है, पर आधारित है। ऐसी प्रतिभू का खण्डन निम्नलिखित दो दशाओं में किया जा सकता है :

(i) सूचना देकर : एक सतत् प्रत्याभूति भविष्य के व्यवहारों के लिए प्रतिभू द्वारा मुख्य ऋणदाता को सूचना देकर रद्द की जा सकती है।

(ii) प्रतिभू की मृत्यु द्वारा : प्रतिभू की मृत्यु पर, किसी अनुबंध की अनुपलब्धता निरन्तर आश्वासन के पुनः लेने को भविष्य लेन–देन की तरह समझा जायेगा। (धारा 131) **{2 M}**

अतः पुनः लेने से पूर्व लेन–देनों के सम्बन्ध में पूर्व लेनदेनों के लिए प्रतिभू का दायित्व वह ही रहेगा।

(i) उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार हाँ अमित बाद में दिए गये सभी ऋणों के दायित्व से मुक्त हो गया, **{1 M}**

(ii) द्वितीय मामले में, अमित, चन्द्र द्वारा दिये गये रुपये 10,000 के लिए दायी है क्योंकि यह ऋण प्रत्याभूति वापस लेने से पहले ही दिया जा चुका था। **{1 M}**

Answer 3:

(a) कोरम का अर्थ है सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जो सभा में उपस्थित होना चाहिए ताकि एक सभा हो सके तथा उसमें व्यवसाय पर विचार किया जा सके अतः कोरम सदस्यों की उस संख्या को व्यक्त करती है जिनकी उपस्थिति में कम्पनी की सभा में विचार–विनिमय प्रारम्भ हो सकता है। किसी कम्पनी की के आयोजन के समय से आधे घण्टे के अन्दर यदि कोरम उपस्थित नहीं होता है, तो सभा अगले सप्ताह उसी स्थान, समय एवं दिन तक स्थगित मानी जाती है अथवा बोर्ड के निर्णय के अनुसार किसी अन्य तिथि एवं अन्य समय तक अथवा यदि सभा (धारा 100 के अधीन) मांगकर्ताओं द्वारा बुलायी जाती है, सभा निरस्त हो जाती है। **{2 M}**

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोरम को हमेशा वैध मीटिंग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर भी मात्र एक स्थिति में मीटिंग वैध होगी अगर कोरम नहीं हो तो भी। अगर सभी सदस्य उपस्थित हों तो यह महत्वपूर्ण नहीं कि आवश्यक कोरम कुल सदस्यों की संख्या से अधिक है। ऐसे केस में मीटिंग वैध होगी भले ही कोरम जो अन्तर्नियम में बताया गया है वह नहीं है। **{3 M}**

Answer:

(b) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के अनुसार, कोई भी निजी या सार्वजनिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र जारी करने के माध्यम से प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है।
लेकिन यह प्रस्ताव एक वित्तीय वर्ष में 50 व्यक्तियों से अधिक को नहीं दिया जाएगा, या इससे अधिक संख्या जो निर्धारित की जा सकती है। कर्मचारियों की अंश विकल्प योजना के तहत् योग्य संस्थागत खरीदारों और कर्मचारियों की संख्या की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा। **{1 M}**

यहाँ एक वित्तीय वर्ष में 200 व्यक्तियों के रूप में निर्धारित सीमा नियमित है। लेकिन यह सीमा प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति के लिए अलग से गिनी जानी चाहिए।
यदि कोई कम्पनी निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के लिए एक प्रस्ताव या आमंत्रण बनाती है, तो इसे जनता के लिए एक प्रस्ताव माना जाएगा और विवरणिका से संबंधित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। **{1 M}**

साथ ही कोई कंपनी इस धारा के तहत् नए प्रस्ताव नहीं दे सकती है यदि पहले किए गए किसी प्रस्ताव के संबंध में आवंटन पूरा हो गया है या कंपनी द्वारा उस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है या छोड़ दिया गया है। यह नियम लागू होता है भले ही निर्गमन विभिन्न प्रकार की प्रतिभूति का हो।
इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन में कोई भी प्रस्ताव या निमंत्रण को सार्वजनिक प्रस्ताव के रूप में माना जाएगा और सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे। **{1 M}**

दिए गए मामले में PQR लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है और उपरोक्त प्रावधानों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक सार्वजनिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। कंपनी ने 55 व्यक्तियों का प्रस्ताव दिया है जिनमें से 4 योग्य संस्थागत खरीदार है। इसलिए यह प्रस्ताव प्रभावी रूप से 51 व्यक्तियों को दिया जाता है जो 200 व्यक्तियों की सीमा के भीतर है। इस नजरिये से कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के अनुपालन में है। **{1 M}**

लेकिन कंपनी ने एक और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया है जो धारा 42 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, इसलिए कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्तावों को सार्वजनिक प्रस्ताव के रूप में माना जाएगा और तदनुसार शासित किया जाएगा।
लेकिन अलग कंपनी इक्विटी अंशधारकों के आवंटन के पूरा होने के बाद उसी वित्तीय वर्ष में डिबेंचर के लिए निमंत्रण देती है तो दोनों निमंत्रणों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर के रूप में माना जा सकता है। यहां हमें 200 की सीमा की जॉच के लिए 51 और 155 व्यक्तियों को नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि इस सीमा को जॉचना चाहिए। **{1 M}**

Answer:

(c) **पाने वाला"**–लिखत में नामित वह व्यक्ति जिसे या जिसके आदेश पर धन संदत्त किया जाना है लिखत द्वारा निर्दिष्ट हो, "पानेवाला" कहलाता है।
"धारक" (धारा 8) ["Holder" (Section 8]–वचन पत्र, विनिमय–पत्र या चैक के "धारक" का अर्थ–

- कोई भी ऐसा व्यक्ति
- जो स्वयं अपने नाम से उस पर कब्जा रखने का और
- उस पर शोध्य रकम उसके पक्षकारों से प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार है।

जहाँ वचन पत्र, विनिमय पत्र या चैक खो जाता है या नष्ट हो जाता है, वहाँ उसका धारक वह व्यक्ति है, जो कि ऐसे खो जाने या नष्ट होने के समय ऐसा हकदार था। **{2 M}**

"नियत समय में धारक" (धारा 9) ["Holder in due course" (Section 9]–''नियत समय में धारक'' का मतलब है–

- कोई भी व्यक्ति
- जो विचार के लिए
- वचन पत्र के मालिक, विनिमय का बिल या चैक (अगर वाहक को देय होता है) या प्राप्तकर्ता या उसकी स्वीकृति प्राप्त हो, (यदि आदेश के लिए देय हो)
- इससे पहले कि उसमें वर्णित राशि भुगतान योग्य हो, और बिना विश्वास के पर्याप्त कारण के बिना उस व्यक्ति के खिताब में कोई भी दोष मौजूद था, जिसके द्वारा उन्होंने अपने शीर्षक का व्युत्पन्न किया। **{2 M}**

Answer 4:

(a) नियम 2(1)(c)(xii) के अनुसार, यदि किसी कंपनी द्वारा या कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए प्राप्त की गई राशियों का अनुसरण किया जाता है, तो उसे जमा नहीं माना जाएगा–

(i) माल की आपूर्ति या सेवाओं के कार्य के लिए अग्रिम के रूप में प्राप्त किसी भी राशि के लिए किसी भी तरीके से हिसाब लगाया जाता है जो इस तरह की अग्रिम की स्वीकृति की तारीख से 365 दिनों की अवधि के भीतर विनियोजित है।
हालांकि यदि कोई अग्रिम किसी भी कानूनी कार्यवाही के अधीन है तो किसी भी कानून की अदालत में 365 दिनों की सीमा लागू नहीं होगी। **{1$^{1/2}$ M}**

(ii) एक समझौते या व्यवस्था के तहत् अचल सम्पत्ति के लिए प्रतिफल के संबंध में अग्रिम के रूप में प्राप्त की गई कोई भी राशि। हालांकि इस तरह की अग्रिम को समझौते या व्यवस्था की शर्तो के अनुसार ऐसे सम्पत्ति के खिलाफ समायोजित करने की आवश्यकता होती है।

(iii) माल की आपूर्ति या सेवाओं के कार्य के अनुबंध के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा राशि के रूप में कोई राशि।

(iv) उपर्युक्त बिन्दु (b) के तहत् कवर किए गए पूंजीगत सामानों की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं के तहत् अग्रिम के रूप में प्राप्त कोई भी राशि। **{1$^{1/2}$ M}**

(v) लिखित समझौते या व्यवस्था के अनुसार वारण्टी या रखरखाव अनुबंध के रूप में भविष्य की सेवाऐं प्रदान करने के लिए अग्रिम के रूप में प्राप्त किसी भी राशि, अगर ऐसी सेवाऐं प्रदान करने की अवधि आम व्यावसायिक अभ्यास या 5 साल के अनुसार प्रचलित अवधि से अधिक नहीं है, ऐसी सेवा की स्वीकृति की तारीख से जो भी कम हो।

(vi) जैसा कि किसी भी क्षेत्रीय नियामक द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार प्राप्त की गई राशि और अग्रिम।

(vii) प्रकाशन के लिए सदस्यता के लिए अग्रिम के रूप में प्राप्त कोई भी राशि, चाहे प्रिंट में या इलेक्ट्रानिक में ऐसे प्रकाशनों की प्राप्ति के खिलाफ समायोजित किया जाए। **{1$^{1/2}$ M}**

हालाकि यदि उपरोक्त बिन्दु (a), (b) और (d) के तहत् प्राप्त राशि प्रतिदेय (ब्याज के साथ या बिना) हो जाती है, तो इस कारण से कि धन स्वीकार करने वाली कम्पनी के पास आवश्यक अनुमति या अनुमोदन नहीं है, जहॉ भी आवश्यक हो, जिन वस्तुओं या सम्पत्तियों या सेवाओं के लिए धनराशि ली गई है, उनके लिए सौदा करें, तो प्राप्त राशि को इन नियमों के तहत् जमा माना जाएगा।
इसके अलावा, इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए राशि को चुकाने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति पर जमा माना जाएगा। **{1$^{1/2}$ M}**

Answer:

(b) कोरम (Quorum) : इस मामले में साधारण सभा का कोरम 7 सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है। कोरम के उद्देश्य के लिए केवल उन सदस्यों की गिनती की जाती है जो मत देने के अधिकारी है। **{1 M}**

कोरम के लिए केवल उन्हीं सदस्यों की गिनती की जाती है जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है इसलिए प्रतिपुरूष की गिनती नहीं होगी चाहे वे कम्पनी के सदस्य है या नहीं। **{1 M}**

यदि एक कम्पनी दूसरी कम्पनी की सदस्य है, यह अपनी सभा में प्रस्ताव पारित करके किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि अधिकृत कर सकती है तो ऐसा व्यक्ति, सभी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्य माना जाएगा तथा कोरम केलिए उसकी गिनती की जाएगी। जहाँ दो और अधिक कम्पनियाँ जो किसी अन्य कम्पनी की सदस्य है और एक अकेले व्यक्ति को सभा में उपस्थित होने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है तो दूसरी कम्पनी में प्रत्येक कम्पनी की गिनती कोरम के रूप में की जाएगी। **{1 M}**

यदि भारत का राष्ट्रपति, किसी राज्य का गवर्नर यदि वह कम्पनी का सदस्य है तो वह एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है जिसको वह उपयुक्त समझे। उस व्यक्ति को कम्पनी का सदस्य माना जाएगा और इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित माना जाएगा।
उपर्युक्त विवेचन को ध्यान में रखकर इस मामले में केवल 3 सदस्य ही व्यक्तिगत रूप से सभा में उपस्थित थे। **{1 M}**

A को कोरम के लिए सम्मिलित किया जाएगा। B तथा C को कोरम के उद्देश्य के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वे पूर्वाधिकार अंशधारियों के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें इस सभा में मत देने का अधिकार नहीं है क्योंकि प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति से पूर्वाधिकार अंशधारियों के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होंगे। D के दो मत होंगे क्योंकि वह दो कम्पनियों Y लि. तथा X लि. का प्रतिनिधि है, जो X लि. का सदस्य है। E, F, G तथा H को कोरम में नहीं गिना जाएगा क्योंकि वे सदस्य नहीं हैं, सदस्यों को प्रतिनिधित्व कर रहे प्रतिपुरूष है। **{1 M}**

इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि कोरम की आवश्यकता पूर्णः नहीं हुई है, जबकि वहाँ केवल 3 सदस्य ही उपस्थित हैं, इसलिए सभा के लिए कोरम वैध नहीं है। **{1 M}**

Answer:

(c) ''शपथ पत्र'' (धारा 3(3)) "Affidavit" [Section 3(3)] : शपथ पत्र के बदले वाणी या घोषित करने की अनुमति कानून द्वारा लोगों के मामले में प्रतिज्ञा और घोषित शामिल है।

1. प्रतिज्ञान और घोषणा,
2. शपथ ग्रहण करने के बजाय व्यक्तियों की पुष्टि या घोषित करने की अनुमति के मामले में।

{2 M}

Answer 5:

(a) (i) नियम 2(1)(c)(xvii) के संदर्भ में, यदि एक स्टार्ट–अप कंपनी को परिवर्तनीय नोट के माध्यम से रुपये 25 लाख या अधिक मिलते हैं। (जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर इक्विटी अंशों में परिवर्तनीय या चुकाने योग्य) एक व्यक्ति से एक ही किस्त में इसे जमा के रूप में माना जाएगा।

दिए गए मामले में, स्टार्ट–अप कंपनी जर्र टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड ने एक परिवर्तनीय नोट के माध्यम से एकल किस्त में रितेश से रुपये 30.00 लाख प्राप्त किए, जो कि उसके जारी होने की तारीखे से 6 साल की अवधि के भीतर चुकाने योग्य है। नियम 2(1)(c)(xvii) के मद्देनजर जिसके लिए परिवर्तनीय नोट की आवश्यकता होती है उसके जारी होने की तारीख से 5 साल की अवधि के भीतर रुपये 30.00 लाख की राशि को जमा के रूप में जाना जाएगा। **{1 M}**

(ii) नियम 2(1)(c)(xviii) के संदर्भ में, कंपनी को ऋण देते समय कंपनी के निदेशक रहे व्यक्ति से प्राप्त किसी भी राशि को जमा नहीं माना जाएगा यदि ऐसे निदेशक कंपनी में प्रस्तुत करते हैं धन देने का समय इस आशय की एक लिखित घोषणा की राशि उसके द्वारा अधिगृहीत की गई धनराशि, उधार या अन्य से ऋण या जमा स्वीकार करके नहीं दी जा रही है और आगे, कम्पनी बोर्ड रिपोर्ट में स्वीकार किए गए धन के विवरण का खुलासा करेगी।

दिए गए मामले में यह माना जाता है कि रचना, पोलस्टार ट्रेडर्स लिमिटेड के निदेशकों में से एक थी जब कम्पनी ने उससे रुपये 30.00 लाख का ऋण प्राप्त किया था। इसके अलावा, यह माना जाता है कि उसने पैसे देने के समय कंपनी को प्रस्तुत किया था, इस आशय की एक लिखित घोषणा कि उसके द्वारा अधिगृहीत की गई धनराशि को उधार या जमा करने या अन्य से ऋण लेने और स्वीकार करने के लिए राशि नहीं दी जा रही है। कंपनी ने उचित बोर्ड रिपोर्ट में स्वीकार किए गए धन के विवरण का खुलासा किया था। यदि इन शर्तो का पालन किया जाता है तो रुपये 30 लाख की जमा के रूप में नहीं माना जाएगा। **{1 M}**

(iii) न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए विस्तारित समय के बाद भी रुपये 50 करोड़ की जमा राशि और उसके ब्याज का भुगतान नहीं करने से, सिटी बैंकर्स लिमिटेड ने अधिनियम की धारा 73 के तहत् निर्धारित शर्तो का उल्लंघन किया है। तदानुसार, निम्नलिखित दण्डदेय है–

- कम्पनी के लिए सजा–सिटी बैंकर्स लिमिटेड जमा की राशि के भुगतान और उस पर मिलने वाले ब्याज के अलावा, जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो कम्पनी द्वारा स्वीकार किए गए जमा की राशि का दुगना या एक करोड़ रुपये से कम नहीं होगा, जो रुपये 10 करोड़ तक हो सकता है।

{$1^{1/2}$ M}

- चूक में सम्मिलित अधिकारी के लिए सजा–स्वाति, चूक में सम्मिलित अधिकारी होने के नाते, कार्यवाही के साथ दण्डनीय हो सकता है जो 7 साल तक और जुर्माने के साथ रुपये 25 लाख से कम नहीं होगा लेकिन जो रुपये 2 करोड़ तक बढ़ सकता है।

इसके अलावा अगर यह साबि हो जाता है कि स्वाति ने जानबूझकर कंपनी या उसके अंशधारकों या जमाकर्ताओं या लेनदारों या कर अधिकारियों को धोखा देने के इरादे से इस तरह के प्रावधानों का उल्लंघन किया था, तो वह धारा 447 (धोखाधड़ी के लिए सजा के तहत् कार्रवाई के उत्तरदायी होगी)।

(iv) नियम 3(1) के अनुसार, एक कम्पनी को जमा (सुरक्षित या असुरक्षित) को स्वीकार करने या नवीनीकृत करने की अनुमति नहीं है जो मॉग पर या 6 महीने से कम समय में चुकाने योग्य है। इसके अलावा, जमा की स्वीकृति की अधिकतम अवधि 36 महीने से अधिक नहीं हो सकती।

हालाकि, इस नियम के अपवाद के रूप में, धन की अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, किसी कम्पनी को शर्तो के अधीन 6 महीनों से पहले चुकौती के लिए जमा स्वीकार या नवीनीकृत करने की अनुमति है–

(i) इस तरह के जमा, चुकता शेयर पूंजी, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम के कुल का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, तथा

(ii) ऐसी जमा राशियों ऐसे जमा या नवीनीकरण की तारीख से 3 महीने बाद या उसके बाद ही चुकाने योग्य होती है। **{1$^{1/2}$ M}**

श्रृंगार रेडिमेड गारमेंट्स लिमिटेड के दिए गए मामले में, वह अपने सदस्यों से रुपये 50 लाख की जमा राशि स्वीकार करना चाहता है, जो कि 6 महीने से कम है। यह ऐसा कर सकता है यदि यह उचित हो कि धन की किसी भी अल्पकालिक आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से जमा की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी भी स्थिति में इस तरह की जमा राशि उसके चूकता शेयर पूंजी, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम खाते के कुल समूह का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, इस तरह की जमा राशि इस तरह की जमाओं की तारीख से 3 महीने बाद या उसके बाद ही चुकाने योग्य होगी।

(v) अधिनियम की धारा 73(1) के अनुसार, कोई भी कंपनी जनता से जमा को स्वीकार या नवीनीकृत नहीं कर सकती है जब तक कि वह अधिनियम के अध्याय V के तहत् दिए गए तरीके का पालन नहीं करती है। (जिसमें कम्पनियों द्वारा जमा की स्वीकृति के बारे में प्रावधान है।) जनता से जमा की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए। हालांकि धारा 73(1) के तहत् प्रावधान बताता है कि जनता से जमा की स्वीकृति या नवीनीकरण के संबंध मे ऐसा निषेध राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक अधिनियम 1987 के तहत् स्थापित राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के साथ पंजीकृत हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी पर लागू नहीं होगा। **{1 M}**

दिए गए मामले में, यह माना जाता है कि डायमण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के साथ पंजीकृत है और इसलिए अधिनियम की धारा 73(1) में शामिल निषेध को जनता से जमा की स्वीकृति नवीनकरण के संबंध में लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, यह एक छूट प्राप्त कंपनी होने के नाते, जमा को स्वीकार कर सकती है।

Answer:

(b) सरल शब्दों में अंशों के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध का अर्थ है कि अंशधारक द्वारा दूसरे व्यक्ति को अंशों के हस्तान्तरण से पूर्व कुछ शर्ते पूर्ण करनी होंगी। ऐसी शर्ते निजी कम्पनीयों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(68) के तहत् लागू होती है। प्रतिबन्ध अंशों के हस्तान्तरण की गतिविधियों में कमी लाता है। **{2 M}**

अंशों के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध दूसरी ओर यह अर्थ देता है कि एक विशेष लेन–देन में अनियमितता, जो अंशों के हस्तान्तरण के पंजीयन को असंभव बनाता है जब तक अनियमितता न हटा दी जाए।

अंश के हस्तान्तरण के पंजीयन से इन्कार करना, एक अन्यथा अनुमति लेकर किया गया व्यवहार है, जबकि हस्तांतरण पर रोक, स्वयं हस्तांतरण में बाधा है। इसलिए एक अंशधारक द्वारा 58(5) के तहत् ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। मगर, अन्तर्नियम में लगाए गई रोक पर कोई हल नहीं है। यह भी वर्णित किया जाना चाहिए कि हस्तांतरण पर रोक, निजी कम्पनी का एक विशेष लक्षण है जबकि धारा 58(2) के तहत् सार्वजनिक कम्पनियों की प्रतिभूतियां स्वतन्त्र रूप से हस्तांतरणीय है। **{3 M}**

Answer:

(c) समान प्रकृति अथवा प्रकार के नियम (Rule of Ejusdem Generis): 'एजुस्डेम जेनेरिस' शब्द का अर्थ है, ''एक ही प्रकार अथवा प्रजाति का''। सामान्य शब्दों में, नियम का अर्थ है :

(i) जहाँ पर कोई अधिनियम विभिन्न विषयों को परिगणित करता है, विशिष्ट शब्दों का अनुकरण करने वाले उन शब्दों के सन्दर्भ में सामान्य शब्दों का अभिप्राय (तथा समझ) उसके पूर्ववर्ती से लगाया जाता है। उन सामान्य शब्दों को ही एक ही प्रकार की वस्तुओं के लिए उपयोग हेतु उसी अर्थ में लिया जाता है जैसा कि पूर्व में उल्लिखित विशिष्ट शब्द का अर्थ लिया जाता है जब तक कि ऐसा प्रतीत न हो कि उसका उद्देश्य व्यापक अर्थ में था। इस प्रकार 'एजुस्डेम जेनेरिस' का अर्थ है जहाँ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है और उन विशिष्ट शब्दों के पश्चात् कुछ सामान्य शब्दों का प्रयोग किया गया है तो सामान्य शब्द पूर्व में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों से अपने अर्थ ग्रहण करेंगे। उदाहरण के लिए, युद्ध के परिणाम की अभिव्यक्ति में विक्षोभ अथवा कोई अन्य कारण शब्द अपना अर्थ पूर्व के शब्दों 'युद्ध विक्षोभ' से ग्रहण करेंगे, अतः यह दो नामित घटनाओं की भाँति उसी एक ही प्रकार के कारण में सीमित होगा। इसी प्रकार जहाँ कोई अधिनियम कुत्ते, बिल्ली, भैंस तथा अन्य पशु रखने की अनुमति देता है तो इसके अन्तर्गत मोर तथा चीते जैसे जंगली जन्तु सम्मिलित नहीं होंगे, बल्कि इसका अर्थ केवल पालतू पशु जैसे घोड़ा आदि होगा। **{1 M}**

जहाँ, अस्त्र युद्ध–सामग्री अथवा गोला–बारूद या कोई अन्य वस्तु के आयात का निषेध किया जाए तो वह कोई अन्य वस्तु का अर्थ शस्त्र, युद्ध–सामग्री अथवा गोला–बारूद से मिलती–जुलती सामग्री के भाव में होगा (एजी बनाम ब्राउन (1920)ए 1 केबी 773)।

(ii) यदि प्रयुक्त विशिष्ट शब्द सम्पूर्ण जीनस (श्रेणी) को प्रदर्शित करता है तो सामान्य शब्दों का अभिप्राय व्यापक जीनस से लगाया जाएगा।

(iii) फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि 'एजुस्डेम जेनेरिस' का सामान्य सिद्धान्त केवल वहीं प्रयुक्त होगा जहाँ समस्त विशिष्ट शब्दों की प्रकृति एकसमान है। जब उनकी श्रेणियाँ अलग–अलग होंगी तो उन विशिष्ट शब्दों के अनुगामी सामान्य शब्दों के अर्थ अप्रभावित रहेंगे–तब वे सामान्य शब्द पूर्ववर्ती विशिष्ट शब्दों का अर्थ नहीं ग्रहण करेंगे।

यह भी ध्यान देना चाहिए कि यह अदालतों के विवेकाधीन है कि किसी विशेष मामले में 'एजुस्डेम जेनेरिस' सिद्धान्त का प्रयोग किया जाए या न किया जाए। उदारहणार्थ, अदालत की समापन की शक्तियों में ''न्याय एवं समानता'' को उन पाँच स्थितियों में सीमित नहीं किया जा सकता जिसमें अदालत किसी कम्पनी का समापन कर सकती है। **{1 M}**

प्रभार, दर, शुल्क तथा कर के व्यक्तिकरण में, प्रभार शब्द को दरों, शुल्कों तथा करों आदि शब्दों के आगे से वर्ण लेते हुए एजुस्डेम जेनेरिस पढ़ा गया। यहाँ सामान्य श्रेणी विशिष्ट श्रेणियों की सूची से पहले दी गई तथा इसीलिए एजुस्डेम जेनेरिस का नियम तकनीकी रूप से लागू नहीं था तथा कोर्ट ने हालांकि अधिक सामान्य नियम Noscitur A Sociis के नियम को लागू किया तथा सभी प्रकार से प्रभार के शब्द के अर्थ को सीमित किया।

नियम लागू होता है जब

⇩

संविधि में विशिष्ट शब्दों की सूची निहित होती है

⇩

सूची के विषय एक वर्ग या श्रेणी को बनाते हैं

⇩

वह वर्ग या श्रेणी सूची के द्वारा समाप्त नहीं होती है

⇩

सामान्य शब्द सूची का अनुसरण करते हैं, तथा

⇩

एक भिन्न वैधानिक उद्देश्य का कोई संकेत नहीं है

{1 M}

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि कोर्ट के पास यह स्वतन्त्रता होती है कि विशेष मामले में 'एक' एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धान्त लागू करना चाहिए या नहीं। उदाहरण के लिए कोर्ट की समाप्ति करने की शक्तियों में 'बस तथा न्याय संगत' अनुच्छेद को प्रथम पाँच स्थितियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है जिसमें कोर्ट एक कम्पनी को समाप्त कर सकती है।

Answer 6:

(a) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 80 के अनुसार जहां किसी कंपनी या उसके किसी उपक्रम की सम्पत्ति या जायदाद पर कोई प्रभार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 के तहत् पंजीकृत है, ऐसी सम्पत्ति, जायदाद, उपक्रम या भाग प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति तत्सम्बन्धी किसी भी भाग या ब्याज पर इस तरह के पंजीकरण की तारीख से प्रभार को नोटिस होना माना जाएगा। **{2 M}**

इस प्रकार, धारा 80 यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति जायदाद या उपक्रम का अधिग्रहण करता है, जिसके संबंध में कोई प्रभार पहले से ही पंजीकृत है, तो यह माना जाएगा कि उसे पंजीकरण की तारीख से प्रभार का पूरा ज्ञान है। **{2 M}**

इसलिए श्री अंतरिक्ष की सम्पत्ति खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए थी और पहले ही ध्यान देना चाहिए कि एनआरटी लिमिटेड ने पहले की सम्पत्ति पर एक प्रभार बना लिया था। **{2 M}**

उपर्युक्त के मद्देनजर, एनआरटी लिमिटेड का विवाद सही है। **{1 M}**

Answer:

(b) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित होगा–

(1) क्या उन्होंने ऐसी सभी जानकारियां एवं स्पष्टीकरण मांग लिए है और प्राप्त कर लिए हैं, जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार उसकी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और यदि ऐसा नहीं है तो उनके विवरण एवं वित्तीय विवरणों पर उक्त जानकारी का प्रभाव, **{1/2 M}**

(2) क्या, उसकी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यकतानुसार उचित लेखाबहियाँ तैयार की गई है, जैसा कि अब तक उन बहियों की उसकी संपरीक्षा से प्रकट होता है तथा उसके द्वारा दौरा ना की गई शाखाओं से, उसकी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त, उचित रिटर्न प्राप्त कर लिए गए हैं, **{1/2 M}**

(3) क्या कंपनी के लेखा परीक्षक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उप–धारा (8) के तहत् लेखापरीक्षक कंपनी के किसी भी शाखा कार्यालय के खातों की रिपोर्ट, उस उप–धारा में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत् तथा उसी ढंग से उसे भेजी गई है, जिस तरीके से उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में इसका उपयोग किया है, **{1/2 M}**

(4) क्या रिपोर्ट में शामिल कंपनी की बैलेंस शीट एवं लाभ एवं हानि खाते, लेखा बहियों एवं रिटर्न के साथ अनुबंध में है, **{1/2 M}**

(5) क्या, उनकी राय में, वित्तीय विवरण लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, **{1/2 M}**

(6) वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर लेखा परीक्षकों के प्रेक्षण या टिप्पणियां, जो कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, **{1/2 M}**

(7) क्या किसी भी निदेशक को धारा 164 की उप–धारा (2) के तहत् निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित किया गया है, **{1/2 M}**

(8) खातों के रखरखाव एवं इससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी, **{1/2 M}**

(9) क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है तथा उक्त नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता,
14 अक्टूबर, 2014 के अधिसूचना के माध्यम से कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2014 द्वारा सम्मिलित नियम 10 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षो के लिए धारा 143(3) के तहत् इस खंड के उद्देश्यों के लिए, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के अस्तित्व के बारे में बताई जाएगी। **{1/2 M}**

(10) ऐसे अन्य मामले जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है। } {1/2 M}

कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 में यह प्रावधान है कि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों पर उनके विचार एवं टिप्पणियाँ शामिल होंगी, अर्थात् :

(1) क्या कंपनी ने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों, यदि कोई है, के प्रभाव का खुलासा किया है,

(2) क्या कंपनी ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर, निकट भविष्य में संभावित महत्वपूर्ण हानियों, यदि कोई हो, के लिए किसी भी कानून या लेखांकन मानकों के तहत् आवश्यक प्रावधान बनाए हैं,

(3) क्या कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किए जाने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी हुई है। {2 M}

Answer 7:

(a) कम्पनियों का निम्नलिखित वर्ग अपने वित्तीय विवरण को एक्सबीआरएल (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज) प्रकार से और एक्सबीआरएल वर्गीकरण का उपयोग करते हुए दाखिल करेगी–

(i) भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज (जो) के साथ सूचीबद्ध सभी कम्पनियाँ तथा उनकी भारतीय समनुषंगी, या

(ii) रुपये पाँच करोड़ या इससे अधिक की चुकता पूंजी वाली सभ कम्पनियाँ या

(iii) रुपये 100 करोड़ या इससे अधिक की आवर्त करने वाली सभी कम्पनियाँ, या

(iv) वे सभी कम्पनियाँ जो अभी तक (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में दस्तावेज और प्रारूप दाखिल करना) नियम, 2011 के अंतर्गत आती थीः {4 M}

बशर्ते कि बैंकिंग, बीमा, पावर सेक्टर की कम्पनियाँ एवं गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को एक्सबीआरएल फाईलिंग से छूट दी गई है। एबीसी लि. को अपने वित्तीय विवरण एक्सबीआरएल रीति से दाखिल करने की आवश्यकता है। {1 M}

Answer:

(b) कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों की लेखा परीक्षा (धारा 143(8)) [Audit of accounts of branch office of company {Section 143(8)}]

(a) **भारत में शाखा कार्यालय :**

जहां किसी कम्पनी का शाखा कार्यालय होता है, तो उस कार्यालय के खातों की लेखा परीक्षा निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा की जाएगी :

(A) धारा 139 के तहत् नियुक्त कंपनी के लेखापरीक्षक, या

(B) धारा 139 के तहत् कंपनी के एक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा {1 M}

(b) **भारत में बाहर शाखा कार्यालय :**

यदि शाखा कार्यालय भारत के बाहर किसी देश में स्थित है, तो शाखा कार्यालय के खाते का लेखा–जोखा निम्नानुसार होगाः

(A) कंपनी के लेखापरीक्षक, या {1 M}

(B) एक एकाउंटैण्ट द्वारा, या

(C) उस देश के कानूनों के अनुसार शाखा कार्यालय के खातों के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कराने के लिए योग्य रूप से योग्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।

(c) शाखा के लेखा–परीक्षा और शाखा लेखापरीक्षक के संदर्भ में कंपनी के लेखापरीक्षक के कर्तव्यों और ताकत, यदि कोई हो, उप–वर्गो (1) से (4) धारा 143 में निहित होगी।

(d) शाखा लेखा परीक्षक उसके द्वारा परीक्षित शाखा के खातों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे कंपनी के लेखापरीक्षक को भेज देगा, जो इसे अपनी रिपोर्ट में उस तरह शामिल करेगा, जैसा वह आवश्यक समझता है। {1 M}

(e) लेखा परीक्षक द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के प्रावधान भी उस सीमा तक उस शाखा लेखा–परीक्षा तक विस्तारित हो जाएंगे, जहां त कवह संबंधित शाखा से संबंधित हों। **{1 M}**

Answer:

(c) **संगत निर्माण केलिए नियम** (Rule of Harmonious Construction) : जब किसी संविधि के शब्दों के अर्थ के विषय में कोई सन्देह हो तो इसे उस भाग में समझना चाहिए जिसमें वे अधिनियमन के विषय और विधायिका के उद्देश्य के साथ सुसंगत हों। उनके अर्थ भाषा के व्याकरणिक अथवा व्युत्पत्तिक औचित्य में और न इसके प्रचलित उपयोग में उतने अधिक नहीं प्राप्त होते हैं जैसे कि अवसर पर जिसमें उनका उपयोग किया गया है तथा जिसकें उद्देश्य प्राप्त होने वाले हैं। **{3 M}**

जहाँ किसी अधिनियमन में दो या दो से अधिक ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें एक–दूसरे से सुमेलित नहीं किया जा सकता, तो यथासम्भव उनकी व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि वह उन सभी को प्रभावी बनाए। इसे ही संगत निर्माण का नियम कहा जाता है।
एक संविधि के स्पष्टीकरण के लिए उस तरीके से प्रयास किए जाने चाहिए जो संविधि के उद्देश्य के समान हो। **{2 M}**

—**—